पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

साइबर हेल्प डेस्क के कर्त्तव्य

प्रेस नोट सं0- **दिनांक 02.02.2026**

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में साइबर फ्रॉड का शिकार पीड़ितों के लिए फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में साइबर हेल्प डेस्क के कर्त्तव्य पर "Specialized Training" शाखा द्वारा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में आज दिनांक 02.02.2026 को एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित **संगोष्ठी सदन** में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य विषय **"साइबर फ्रॉड पीड़ितों के लिए फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में साइबर हेल्प डेस्क के कर्त्तव्य"** रहा।

"उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप, **श्रीमान् पुलिस आयुक्त लखनऊ, श्री अमरेन्द्र कुमार सेंगर** के आदेश के क्रम में तथा **श्रीमान् संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार** व **श्रीमान् संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) श्री बबलू कुमार** के प्रभावी मार्गदर्शन में आज एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

पुलिस उपायुक्त अपराध श्री कमलेश कुमार दीक्षित तथा पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, श्री अनिल कुमार यादव के निर्देशन तथा **अपर पुलिस उपायुक्त अपराध, श्रीमती किरन यादव** के नेतृत्व एवं **सहायक पुलिस आयुक्त (महिला अपराध/साइबर क्राइम) सुश्री सौम्या पाण्डेय** के कुशल पर्यवेक्षण में आयोजित इस कार्यशाला का मुख्य विषय **'साइबर फ्रॉड पीड़ितों के लिए फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में साइबर हेल्प डेस्क के कर्त्तव्य'** रहा। इस सत्र में **साइबर एक्सपर्ट श्री अनुज अग्रवाल** द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को साइबर अपराध की रोकथाम, त्वरित साक्ष्य संकलन और पीड़ितों को तत्काल सहायता पहुँचाने के संबंध मे रिजर्व पुलिस लाइन्स स्थित संगोष्ठी सदन में विभिन्न थानों के साइबर हेल्प डेस्क प्रभारी, आरक्षी एवं पिंक बूथ पर नियुक्त महिला आरक्षियों सहित लगभग 170 पुलिस कर्मियों ने विस्तृत तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया गया।"

- पुलिस आयुक्त लखनऊ के निर्देशन में साइबर हेल्प डेस्क हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का हुआ आयोजन।
- पुलिस कर्मियों को सिखाए गए साइबर सुरक्षा के गुर, पुलिस कर्मियों ने ली 'फर्स्ट रेस्पॉन्डर' की विशेष ट्रेनिंग।
- साइबर फ्रॉड पीड़ितों की तत्काल सहायता के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित।
- साइबर एक्सपर्ट द्वारा 1930 हेल्पलाइन और NCRP पोर्टल की बारीकियों से कराया अवगत।
- डिजिटल अरेस्ट और लोन ऐप फ्रॉड जैसे गंभीर साइबर अपराधों से निपटने के विशेष प्रशिक्षण।
- साइबर जांच में UTR आईडी और IPDR एनालिसिस के महत्व पर विशेषज्ञों ने दिया विशेष जोर।
- साक्ष्य संकलन को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस कर्मियों ने सीखे फेराडे बैग और फोरेंसिक इमेजिंग के उपयोग।
- फेसबुक और मेटा जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संदिग्धों का डेटा प्राप्त करने की विधिक प्रक्रिया पर दी गई विस्तृत जानकारी।

कार्यशाला का उद्देश्य

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों को साइबर अपराधों के विरुद्ध तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे साइबर फ्रॉड पीड़ितों के लिए कुशल 'फर्स्ट रेस्पॉन्डर' के रूप में कार्य कर सकें। इसका लक्ष्य प्रतिभागियों को साइबर हेल्प लाइन **1930** और **NCRP पोर्टल** के प्रभावी संचालन, **UTR/Transaction ID** के महत्व, और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित (Seizure) करने की सही वैज्ञानिक विधि से अवगत कराना है। साथ ही, **I4C** की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और अत्याधुनिक जांच टूल्स के माध्यम से पीड़ितों को तत्काल राहत पहुँचाने और अपराधियों के विरुद्ध ठोस साक्ष्य संकलन सुनिश्चित करना इस कार्यक्रम की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु:

- **त्वरित सहायता एवं पोर्टल:** प्रशिक्षक **श्री अनुज अग्रवाल (साइबर एक्सपर्ट)** द्वारा प्रतिभागियों को साइबर हेल्पलाइन नंबर **1930**, **NCRP पोर्टल** और **cybercrime.gov.in** के संचालन एवं उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
- **तकनीकी बारीकियां:** साइबर फ्रॉड की शिकायतों को दर्ज करते समय **UTR ID** और **Transaction ID** के महत्व को समझाया गया, जो वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में अपराधियों तक पहुँचने की पहली कड़ी होती है।
- **साइबर अपराध के विभिन्न आयाम:** कार्यशाला में वर्तमान में प्रचलित अपराधों जैसे— **लोन ऐप फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड** और अन्य फाइनेंशियल फ्रॉड के तौर-तरीकों (Modus Operandi) पर चर्चा की गई।
- **जांच एवं साक्ष्य संकलन:** जांच की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु **IP Address** तथा **IPDR (Internet Protocol Detail Record)** एनालिसिस के तकनीकी पहलुओं को सिखाया गया।
- **कानूनी एवं फोरेंसिक सावधानी:** IT एक्ट के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सीज करने की सही प्रक्रिया बताई गई। डेटा सुरक्षित रखने हेतु **फेराडे बैग (Faraday Bag)** के उपयोग और **फोरेंसिक इमेजिंग** की जानकारी दी गई ताकि साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ (Tampering) न हो सके।
- **सोशल मीडिया एवं SOP:** प्रतिभागियों को **I4C** द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) और मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम), ट्विटर, यूट्यूब जैसे **मेटा डेटा होल्डर्स** से संदिग्धों की जानकारी प्राप्त करने की विधिक प्रक्रिया से अवगत कराया गया।

निष्कर्षत:

इस प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने साइबर अपराधों के विरुद्ध अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ किया है। कार्यशाला के अंत में यह स्पष्ट हुआ कि तकनीकी रूप से दक्ष 'फर्स्ट रेस्पॉन्डर' ही साइबर पीड़ितों को समय रहते न्याय दिलाने और वित्तीय क्षति को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इस पहल से न केवल पुलिस बल की पेशेवर क्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि नवीनतम जांच उपकरणों और SOP के ज्ञान से साइबर अपराधियों के विरुद्ध साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी एवं त्रुटिहीन बनेगी।